

कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक / 4279 / प्रव.स्था. / टीसी / 2018

ग्वालियर, दिनांक 10.09.2018

:-आदेश:-

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा WP 12203/2006 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 के अनुपालन में - मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 1946/3991/2017/आठ दिनांक 07.09.2018 के द्वारा, शासन के पूर्व आदेश क्रमांक 2538/5710/2014/आठ दिनांक 12.09.2017 एवं परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 51/टीसी/2017 दिनांक 13.09.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग के उपरोक्त आदेशों के पालन में यह निर्देशित किया जाता है कि:-

- 1- कम्प्यूटरीकृत चैकपोस्टों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों की मैन्यूअल चैकिंग दिनांक 12.09.2017 से पूर्व की स्थिति में मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 एवं मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत की जावेगी।
- 2- परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 13.09.2017 द्वारा बंद किये गये निम्नांकित गैरकम्प्यूटरीकृत एवं अस्थाई परिवहन चैकपोस्टों को दिनांक 12.09.2017 की स्थिति में बहाल किया जाता है:-

दिनांक 12.09.2017 की स्थिति में कार्यरत गैरकम्प्यूटरीकृत चैकपोस्ट

चैकपोस्ट	जिला
1 फूप + मालनपुर	भिण्ड
2 मुरैना	मुरैना
3 चिरूला	दतिया
4 उमरस्थाना + धरनावदा	गुना
5 सिकंदरा	शिवपुरी
6 चौदपुर	अलीराजपुर
7 लोनी	बुरहानपुर
8 थौदला	झाबुआ
9 बोनकड़ा	बालाघाट
10 सालेटेकरी	मण्डला
11 मोतीनाला	रीवा
12 चौकघाट	सतना
13 मझगवाँ	सिंगरौली
14 मोरवा + करोटी + जयन्त	छतरपुर
15 लोढ़ी + बांसवाडा	बैतूल
16 अदनानाका	अनूपपुर
17 रामनगर तिराहा	मंदसौर
18 जमालपुरा	नीमच
19 लेदी चोराहा	रतलाम
20 बघाना	
21 पिपलोदा	
22 सैलाना	

दिनांक 12.09.2017 की स्थिति में कार्यरत अस्थाई चेकपोस्ट

चैकपोस्ट	जिला
1 भूली	छिंदवाड़ा
2 राजना	छिंदवाड़ा
3 प्राणपुर	अशोकनगर
4 बाजना	रतलाम
5 बीना-खुरई	सागर
6 सामरसा	श्यापुर
7 कराहल + नहर	श्यापुर
8 रानीगंज तिगैला	छतरपुर

- 3- संबंधित क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, उपरोक्त पैरा क्रमांक 2 की सूचियों में उल्लेखित गैरकम्प्यूटरीकृत एवं अस्थाई परिवहन चैकपोस्ट को पुनः स्थापित किये जाने की कार्यवाही इस आदेश दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। इन चैकपोस्टों पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के आदेश मुख्यालय द्वारा पृथक से जारी किये जावेंगे।
- 4- इस आदेश के द्वारा बहाल किये गये गैरकम्प्यूटरीकृत एवं अस्थाई परिवहन चैकपोस्ट दिनांक 12.09.2017 की स्थिति के अनुसार उनके नियंत्रणकर्ता परिवहन चैकपोस्टों के अधीन कार्यरत रहेंगे।

(डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव)
परिवहन आयुक्त
मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 10.09.2018

पृ.क्रमांक/4279/प्रर्व.स्था./टीसी/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशेष सहायक मान. परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश भोपाल।
- प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल।
- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा./प्रर्व.), मुख्यालय ग्वालियर।
- निज सचिव, परिवहन आयुक्त, मुख्यालय ग्वालियर।
- संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त), मध्य प्रदेश ग्वालियर।
- संभागीय उप परिवहन आयुक्त, (समस्त) मध्य प्रदेश।
- क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, (समस्त) मध्य प्रदेश।
- प्रमारी परिवहन चैकपोस्ट जिला (समस्त) मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ।

(परिवहन आयुक्त)
मध्य प्रदेश